न्यायालय अपील अधिकरण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.

भरण पोषण अपील संख्याः **GCMS No.-2024/29**

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थीगण
1—दीनदयाल चौधरी पुत्र स्व. धनराज उम्र 68 वर्ष 2—कमला पत्नी दीनदयाल चौधरी, उम्र—66 वर्ष जाति जाट, निवासी प्लॉट सं. 18—19, आचार्यो की गली नंबर 10, कमलेश्वर महादेव के मंदिर के पास, कमला नेहरू नगर, जोधपुर		1—मनीष पुत्र दीनदयाल चौधरी 2—सुशीला पत्नी मनीष जाति जाट, निवासी निवासी प्लॉट सं. 18—19, आचार्यो की गली नंबर 10, कमलेश्वर महादेव के मंदिर के पास, कमला नेहरू नगर, जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 16, माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.12.2023 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) द्वारा प्रकरण संख्या 8/2023 दीनदयाल चौधरी व अन्य बनाम मनीष व अन्य में पारित किया गया।

उपस्थितिः—

1—अपीलार्थीगण अनुपस्थित।
2—प्रत्यर्थी संख्या—1 उपस्थित।

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण की ओर से उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 4, 9 व 23 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2010 बाबत बख्सीशनामा/पारिवारिक बंटवाड़ा दिनांक 15.07.2022 को निरस्त करने, अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 1 से भरण पोषण राशि 15000/— रूपये प्रतिमाह दिलाने एवं अप्रार्थीगण से कमला नेहरू नगर स्थित मकान खाली कर कब्जा दिलाने व पावटा ए रोड़ स्थित मकान में किसी तरह कोई कब्जा नही करने हेतु प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) द्वारा सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश दिनांक

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

20.12.2023 को पारित किया गया, जिसमें प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण से सद्व्यवहार बनाये रखने, गाली गलौच नही करने व बीमार होने की स्थिति में डॉक्टर–दवाई की व्यवस्था करने हेतु पाबंद किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज (GCMS No.-2024/29) कर प्रत्यर्थीपक्ष/अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये व अधीनस्थ अधिकरण का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अप्रार्थी/प्रत्यर्थी–1 व 2 ने अपील में 20.08.2024 को उपस्थिति हेतु उपस्थित हुए। अधीनस्थ अधिकरण से मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। नियत सुनवाई दिनांक 07.10.2024 को उपस्थित अपीलार्थी/प्रार्थी संख्या–1 व अप्रार्थी/प्रत्यर्थी–1 का पक्ष सुना गया, वक्त सुनवाई अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा लिखित बहस/जवाब प्रस्तुत करने चाहा तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा दिनांक 16.10.2024 को लिखित जवाब प्रस्तुत किया जिसकी प्रति अपीलार्थी पक्ष को देते हुए सामिल पत्रावली किया गया तथा अपीलार्थी/प्रार्थी पक्ष की ओर से भी दिनांक 18.10.2024 को प्रस्तुत लिखित बहस की प्रति अप्रार्थीपक्ष को देते हुए सामिल पत्रावली किया गया। इस प्रकार उभयपक्षकरान को सुना गया।

अपीलार्थी/प्रार्थी–1 ने अपनी बहस में बतलाया कि अप्रार्थी संख्या–1 पुत्र व अप्रार्थी संख्या–2 पुत्रवधु है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर)) के समक्ष माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधिनियम 2010 के तहत अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण से भरण पोषण राशि दिलाने एवं बख्सीशनामा/पारिवारिक बंटवाड़ा दिनांक 15.07.2022 को निरस्त करने व अन्य समस्याओं के निराकरण का आवेदन करने के उपरांत भी अपीलार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान नही कर विधिक भूल की है। लिखित बहस में यह बतलाया गया कि अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा घर में तोड़–फोड़ कर लड़ाई–झगड़ा करते रहते है और मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान करते है। उनके द्वारा दबाव डालकर धोखाधड़ी करते हुए बख्शीसनामा उपपंजीयन संख्या प्रथम जोधपुर में दिनांक 15–07–2022 पुस्तक संख्या प्रथम, जिल्द संख्या 1040, पृष्ठ संख्या 20220305115089 पर पंजीबद्ध सुदा निष्पादित करवा दिया, जिसे निरस्त एवं शून्य घोषित किया जावे तथा अपीलार्थी संख्या–1 को अप्रार्थी संख्या–1 प्रतिमाह 15 हजार रूपये दिलया जावे तथा अप्रार्थीगण अपीलार्थी के रहवास में किसी तरह की कोई बाधा न स्वयं बने न किसी से करावे न ही लडाई झगडा करे। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा आदेश में कहा गया कि भरण–पोषण अधिनियम के तहत वृद्ध जनों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है न की जमीन जायदाद के विवाद का निस्तारण करना है जबकि भरण–पोषण अधिनियम के तहत अधिकरण को यह पूर्ण अधिकार दिया गया है कि धोखे से यदि संपत्ति का अंतरण किया गया है या अंतरण में यह शर्त रखी गई है कि संपत्ति हस्तांतरण के पश्चात् संपत्ति प्राप्त करने

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

वाला अपने माता–पिता की सेवा चाकरी करेगा। इस प्रकार की यदि शर्त रखी गई है तो सम्पति प्राप्त करने वाला उक्त शर्त का उल्लघंन करता है तो हस्तांतरण करने वाले माता–पिता सम्पति प्राप्त वापस प्राप्त कर सकते है और अधिकरण को पूर्ण अधिकार है कि अधिकरण हस्तांतरण की गई संपत्ति के दस्तावेज के अंतरण को शून्य घोषित कर सकता है यानि हस्तांतरित की गई संपत्ति को शून्य घोषित कर सकता है, उसके बावजूद भी अधीनस्थ अधिकरण में कानून का गलत मनन किया। परिवारिक बंटवारे में बख्शीसनामा करते वक्त यह स्पष्ट रूप से शर्त रखी गई थी कि बीमारी के समय अप्रार्थीगण अपीलार्थीगण की सेवा चाकरी करेंगे लेकिन उपरोक्त शर्तो का उल्लघंन करते हुए अप्रार्थीगण ने अपीलार्थीगण के साथ मारपीट की और सेवा चाकरी करना बंद कर दिया। अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण के साथ मारपीट की उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट महामंदिर थाने में करवाई गई थी। बक्सीशनामा/पारिवारिक बंटवाड़ा होने के बावजूद भी अपीलार्थी के पक्ष में प्लोट संख्या 194, 195, मानजी का हत्था स्थित हिस्से में रखे गये थे उस पर भी नाजायज कब्जा कर लिया और अपीलार्थी के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने अपनी पुत्री सुप्रिया अपने दादा पर झूठा छेडछाड का प्रकरण दर्ज करवाया जो पुलिस थाना महामंदिर जोधपुर में प्रकरण संख्या 390/2023 है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी दीनदयाल को 5 दिनो तक जेल में रहना पड़ा उसके बाद जिला न्यायालय जोधपुर से जमानते करवाई गई। उपरोक्त प्रकरण में जबरन राजीनामा करते हुए 35,00,000/– रूपये प्राप्त कर लिये। जहां तक पावटा 'ए' रोड दीपमार्ग जोधपुर वाली सम्पति रेस्पोडेन्ट संख्या एक द्वारा बक्शीश करने की बात पूर्णतया गलत है उपरोक्त सम्पति मात्र अप्रार्थी संख्या–1 अपीलार्थी का पुत्र होने से प्रेमवश बेचाननामा में नाम दर्ज करवाया था, उपरोक्त सम्पति में सम्पूर्ण राशि अपीलार्थीगण की लगी है इसके संबंध में आईडीबीआई बैंक शाखा चौपासनी रोड, जोधपुर द्वारा लोन लेकर ही उपरोक्त सम्पति खरीद की गई थी जिसके लोन खाता संख्या 058675100011246 है जो ऋण वर्ष 2005 में लिया गया था जिसकी सम्पूर्ण राशि अपीलार्थी संख्या–2 द्वारा चुकता की गई है, उपरोक्त सम्पति खरीद ने अप्रार्थी संख्या–1 का कोई सरोकार वास्ता या राशि लगी हुई नही है मात्र प्रेमवश पुत्र होने के नाते उसका नाम बेचाननामा में दर्ज करवाया गया था, जहां तक दो करोड रूपये में बेचान करने का सम्बन्ध है ऐसा कोई पावटा वाली सम्पति बेचान करने के दस्तावेज रेकर्ड पर उपलब्ध नही है। बहस के अंत में बक्सीशनामा दिनांक 15.07.2022 को शून्य/निरस्त घोषित करते हुए अप्रार्थी/प्रत्यर्थी –1 से भरण पोषण की राशि दिलवाई जावे तथा अपीलार्थीगण के साथ किसी प्रकार का लडाई झगडा नही करने को पाबंद करने हेतु इस्तदुआ की।

अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या–1 ने जवाब में बतलाया कि अपीलार्थीगण ने गलत एवं मनगढन्त तथ्य लिखे है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण में प्रार्थना पत्र झुठे तथ्यो के आधार पर पेश किया था जिसको अधीनस्थ अधिकरण में गवाह, बयान के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र झुठा होना पाया जाकर खारिज किया गया। कमला नेहरू नगर वाला मकान में

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

पहले प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण साथ में ही रहते थे उसके बाद में प्रार्थीगण वह मकान छोड़कर अपने पावटा ए रोड़, काबरा स्कूल के पीछे वाले में मकान में रहने के लिए आ गये। वर्तमान में इस मकान के आधे भाग में प्रार्थीगण श्रीराम बॉयज हॉस्टल के नाम से संचालन करते है जिससे उनकी अच्छी आय होती है। वास्तव में तो मकान संख्या 194–195 मानजी का हत्था पावटा वाले में मकान का कब्जा अप्रार्थीगण के पास था जिसको प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को बेदखल करने के उददेश्य से इस मकान को बेचान कर दिया तथा अप्रार्थीगण का कब्जा खाली करवाने के लिए लगभग 50 महिलाये एवं पुरुषो को एक पुलिस वाले की मदद लेकर अप्रार्थीगण संख्या 2 व उसकी पुत्री पर हमला करवा दिया, मारपीट की गई व लज्जा भंग की जिस घटना की दिनांक 12.08.2023 व 21.08.2023 को अखबार में खबर प्रकाशित हुई थी। इस घटना की पुलिस में शिकायत होने पर एक पुलिसकर्मी पर कार्यवाही की गई तथा प्रार्थी संख्या–1 व अन्य लोगो को गिरफ्तार किया गया। बक्शीशनामा पारिवारिक बंटवाड़ा अनुसार किये गये जो एक बक्शीशनामा प्रार्थी संख्या–2 द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में किया गया तथा एक बक्शीशनामा अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा प्रार्थीगण के कहने से उनके पुत्र आशिष के पक्ष में किया गया जिसका उल्लेख इस अपील में प्रार्थीगण द्वारा नही किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने सही तथ्यो को छुपाकर अपील पेश की है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आज दिन भी सेवा चाकरी करते है तथा देखभाल करते रहते है अपीलार्थी संख्या–2 शिक्षा विभाग में नौकरी करती है तथा अच्छी आय अर्जित करती है तथा अपीलार्थी संख्या–1 सोजती गेट चौराहे पर आशिष मोबाईल के नाम से दुकान चलाता है जो उनके दुसरे पुत्र आशिष की है तथा हर समय इसी दुकान पर बैठ कर दुकान का संचालन करता है तथा अच्छी आय हजारो रूपयें में प्राप्त करता है। अप्रार्थीगण द्वारा भूखण्ड संख्या 194–195 मानजी का हत्था पावटा वाले मकान को अधीनस्थ अधिकरण में प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते लगभग 2,00,00,000/– अखरे दो करोड़ में बेचान किया है। बहस के अंत में अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा अपील खारिज किये जाने की इस्तदुआ की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। अपीलार्थी पक्ष द्वारा अपील में मुख्य रूप से भरण पोषण राशि दिलाने एवं बक्सीशनामा/पारिवारिक बंटवाड़ा व सहमति पत्र दिनांक 15.07.2022 को निरस्त किये जाने निवेदन किया गया। अपीलार्थीगण वं प्रत्यर्थीगण के मध्य पारिवारिक बंटवाड़ा आपसी सहमति से निष्पादित किया गया था इस स्थिति में अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण के अतिरिक्त अन्य पक्ष भी पारिवारिक बंटवाड़ा दिनांक 15.07.2022 भी सम्मिलित है, साथ ही अपीलार्थी/प्रार्थी संख्या 2 शिक्षा विभाग से सेवानिवृत होने से प्रतिमाह पेंशन प्राप्त कर रही है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 वरिष्ठ नागरिकों एवं माता–पिता के संरक्षण हेतु कवच/बचाव के लिए है न कि हथियार के रूप में उपयोग में लाने हेतु बनाया गया है तथा अधिनियम की धारा 23 के अनुसार जायदाद

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

से बेदखल कर कब्जा सुपुर्द कराने का प्रावधान नही है। उक्त अधिनियम का मुख्य मंतव्य वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है न कि जमीन–जायदाद के विवादों का निस्तारण करना, ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण व प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण के मध्य सम्पति का विवाद का निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाना उचित है। उक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ अधिकरण का आदेश हस्तक्षेप योग्य नही है अतः अधीनस्थ अधिकरण का आदेश यथावत रखा जाकर अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जाता है। साथ ही अधीनस्थ अधिकरण को यह आदेशित किया जाता है कि अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 की पूर्णतः पालना अप्रार्थीगण द्वारा की जा रही है को सुनिश्चित करे तथा इस हेतु संबंधित सरंक्षण अधिकारी को भी पाबंद करे। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश प्रति के साथ मूल अभिलेख संबंधित अधीनस्थ अधिकरण को सूचनार्थ एवं पालनार्थ पुनः लौटाया जावे। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

आदेश आज दिनांक 11.02.2025 को सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)